रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082025-265335 CG-DL-E-11082025-265335

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

No. 497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2025/श्रावण 17, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2025/SHRAVANA 17, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 541(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 633(अ), तारीख 14 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, क्रम संख्या (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(i) महानिदेशक, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास- सदस्य सचिव, *पदेन* ;"।

[फा.सं.43/1/2025-एम.।]

संजय लोहिया. अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 633(अ), तारीख 14 अगस्त, 2015 *द्वारा* प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 100(अ), तारीख 07 फरवरी, 2022 *द्वारा* संशोधित की गई थी।

5330 GI/2025 (1)

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2025

G.S.R. 541(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Mines published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 633(E), dated the 14th August, 2015, namely:-

In the said notification, in paragraph II, for serial number (i) and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) Director General, National Mineral Exploration Trust - Member Secretary, ex officio;".

[F. No.43/1/2025-M.I]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 633(E), dated the 14th August, 2015 and was amended *vide* number G.S.R.100(E), dated the 7th February, 2022.